रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 399] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 2, 2001/श्रावण 11, 1923

No. 399] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 2, 2001/SRAVANA 11, 1923

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2001

सा.का.नि. 576 (अ).— पासपोर्ट अधिनियम, 1967(1967 का 15) की धारा 24 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार पासपोर्ट नियमावली, 1980 को संशोधित करते लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत :-

1. (1) इन नियमों को नियम पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2001 कहा जाएगा ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त हो जायेंगे ।

2. पासपोर्ट नियमावली 1980 की अनुसूची I में :-

.....

(i) क्र.सं. 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्र. सं. और प्रविष्टियाँ की जाएंगी, नामत :-

.....

3. (क) क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, दिल्ली)	दिल्ली और हरियाणा राज्य के गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर और रोहतक जिले
(ख) सहायक पासपोर्ट अधिकारी (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय दिल्ली)	वही
(ग) जन संपर्क अधिकारी (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय दिल्ली)	वही
(घ) अधीक्षक (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय दिल्ली)	वही

.....

(ii) क्रम सं. 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियाँ की जाएंगी, नामत :-

.....

4. (क) क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय चंडीगढ़)	पंजाब राज्य के भटिंडा, फरीदकोट, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, फिरोजपुर पटियाला, मोगा, मुक्तसर मनसा, संगरूर और रोपर, हरियाणा राज्य में अंबाला, भिवानी, हिसार, जिंद, करनाल सिरसा, कैथल, रिवाड़ी, कुरुक्षेत्र, महेन्द्रगढ़, पानीपत, यमुनागर, पंचकुला और फतेहाबाद, हिमाचल प्रदेश राज्य और चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र के सभी जिले ।
(ग) जन सम्पर्क अधिकारी (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय चण्डीगढ़)	तथैव
(घ) अधीक्षक (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय चण्डीगढ़)	तथैव

(iii) क्रम संख्या 5 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां रखी जाएं । यथा :

"5" (क) क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, चेन्नई)	चेन्नई, चिंगेलपुर (पू) कांचिपुरम वेल्लूर, थिरूवनामलाई, इरोड, कोयम्बटूर (शहर) कोयम्बटूर (आर), सेलम (शहर), सेलम (आर), नमक्काल, कुड्डालोर, विलूपरम, धर्मपुरी, नीलगिरी, कराईकाल, तमिलनाडू राज्य का थिरूवल्लूर जिला और संघ राज्य क्षेत्र पांडिचूरी ।
(ख) सहायक पासपोर्ट अधिकारी (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय चेन्नई)	तथैव
(ग) जन सम्पर्क अधिकारी (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय चेन्नई)	तथैव
(घ) अधीक्षक (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय चेन्नई)	तथैव

(iv) क्रम संख्या 6 (I) तथा (II) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां रखी जाएं । यथा :

"6" (i) (क) क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय कोचीन)	केरल राज्य के अलघूजुहा, कोटटायम, इडुकी, थ्रिसूर, एर्नाकुलम शहर तथा संघ राज्य क्षेत्र लक्षदीव
(ख) सहायक पासपोर्ट अधिकारी (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय कोचीन)	तथैव

IndiaCode

(ग) जन सम्पर्क अधिकारी (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय कोचीन)	तथैव
(घ) अधीक्षक (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय कोचीन)	तथैव
6. (ii) पासपोर्ट अधिकारी (पासपोर्ट कार्यालय कोजिकोड)	केरल राज्य के पालघाट, मलायपुरम वायान्ड, कोजिकोड, कन्नूर, कासरागाड शहर ।

(v) क्रम सं. 7 (ए) और 7 (बी) तथा इससे संम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां की जाएं, नामत:

7. (क) क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय मुम्बई)	दादर और नागर हवेली तथा दमन संघ शासित प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य के मुम्बई रत्नगिरी, सिंधुदुर्ग, औरंगाबाद और बीड़ के जिले ।
(ख) सहायक पासपोर्ट अधिकारी (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय मुम्बई)	वही
(ग) जन सम्पर्क अधिकारी (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय मुम्बई)	वही
(घ) अधीक्षक (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय मुम्बई)	वही
7. (ख) (क) पासपोर्ट अधिकारी (पासपोर्ट कार्यालय नागपुर)	महाराष्ट्र राज्य के अमरावती, अकोला, भण्डारा, बुलधाना, चन्द्रपुर, लातूर, हिंगोली, गडचिरोली, गोंदिया, जालना, नागपुर (शहरी), नागपुर (ग्रामीण), नानदेद, उस्मानाबाद, परमानी, वासिम वेधा, यावतमल जिले और भिलाई इस्पात संयंत्र ।
(ख) सहायक पासपोर्ट अधिकारी (पासपोर्ट कार्यालय नागपुर)	वही
(ग) जन सम्पर्क अधिकारी (पासपोर्ट कार्यालय नागपुर)	वही
(घ) अधीक्षक (पासपोर्ट कार्यालय नागपुर)	वही

(vi) क्रम सं. 8 (ii) और उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां की जाएं, नामत:

IndiaCode

"8 (ii).

(क) पासपोर्ट अधिकारी (पासपोर्ट कार्यालय बरेली)	उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली, बदायूं, एटा बिजनौर मुरादाबाद, रामपुर, पिलीभीत, शाहजहांपुर, मैनपुरी, फिरोजाबाद और ज्योतिबा फूल नगर जिले और उत्तरांचल राज्य में पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, चम्फावत, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, बागेश्वर, चमौली, रूद्र प्रयाग, उद्यम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून जिले ।
(ख) जन सम्पर्क अधिकारी (पासपोर्ट कार्यालय बरेली)	वही
(ग) अधीक्षक (पासपोर्ट कार्यालय बरेली)	वही

.....

(vii) क्रम संख्या 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां की जाएंगी, नामत:

.....

9.	
(क) पासपोर्ट अधिकारी (पासपोर्ट कार्यालय हैदराबाद)	आन्ध्र प्रदेश राज्य के आदिलाबाद, जिजामाबाद, मेदाक, कर्शमनगर, वारंगल, खम्माम, रंगा रेड्डी हैदराबाद, कुरनूल, महबूब नगर, गुन्टूर, कृष्णा, प्रकाशम्, अनन्तपुर, नेल्लोर, नलगोन्डा, कुड्डफ्ता चितौड़, सिकन्दराबाद जिले ।
(ख) सहायक पासपोर्ट अधिकारी (पासपोर्ट कार्यालय हैदराबाद)	वही
(ख) जन सम्पर्क अधिकारी (पासपोर्ट कार्यालय हैदराबाद)	वही
(ग) अधीक्षक (पासपोर्ट कार्यालय हैदराबाद)	वही

.....

(viii) क्रम संख्या 12 और उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां की जाएंगी, नामत:

.....

12.	
(क) पासपोर्ट अधिकारी (पासपोर्ट कार्यालय, भोपाल)	मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य
(ख) जन सम्पर्क अधिकारी (पासपोर्ट कार्यालय भोपाल)	वही

	(ग) अधीक्षक (पासपोर्ट कार्यालय भोपाल)	वही

(ix) क्रम संख्या 14 और उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां की जाएंगी, नामत:

14.	(क) पासपोर्ट अधिकारी (पासपोर्ट कार्यालय, पटना)	बिहार तथा झारखण्ड राज्य
	(ख) जन सम्पर्क अधिकारी (पासपोर्ट कार्यालय पटना)	वही
	(ग) अधीक्षक (पासपोर्ट कार्यालय पटना)	वही
	(घ) अधीक्षक (पासपोर्ट कार्यालय, पटना)	वही

(x) क्रम संख्या 16 में मद (i) और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां की जाएंगी, नामत:

16.	(क) पासपोर्ट अधिकारी (पासपोर्ट कार्यालय, जम्मू)	जम्मू और कश्मीर राज्य में जम्मू, पूंछ, कथुआ डोडा, राजोरी, उद्यमपुर जिले ।
	(ख) सहायक पासपोर्ट अधिकारी (पासपोर्ट कार्यालय जम्मू)	वही
	(ग) जन सम्पर्क अधिकारी (पासपोर्ट कार्यालय जम्मू)	वही
	(घ) अधीक्षक (पासपोर्ट कार्यालय जम्मू)	वही

(xi) क्रम संख्या 18 से 21 और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां की जाएंगी, नामत:

18.	(क) पासपोर्ट अधिकारी (पासपोर्ट कार्यालय, जालधंर)	पंजाब राज्य में जालधंर, कपूरथला, अमृतसर, गुरूदासपुर, नवांशहर, होशियारपुर के जिले ।
	(ख) सहायक पासपोर्ट अधिकारी (पासपोर्ट कार्यालय जालधंर)	वही
	(ग) जन सम्पर्क अधिकारी (पासपोर्ट कार्यालय जालधंर)	वही
	(घ) अधीक्षक (पासपोर्ट कार्यालय जालधंर)	वही

IndiaCode

19.	(क) पासपोर्ट अधिकारी (पासपोर्ट कार्यालय, गाजियाबाद)	उत्तर प्रदेश राज्य में आगरा, मथुरा, अलीगढ़ बुलन्दशहर, मेरठ, मुजफ्फरपुर, गाजियाबाद, हाथरस, और गौतम बुद्धनगर के जिले ।
	(ख) सहायक पासपोर्ट अधिकारी (पासपोर्ट कार्यालय गाजियाबाद)	वही
	(ग) जन सम्पर्क अधिकारी (पासपोर्ट कार्यालय गाजियाबाद)	वही
	(घ) अधीक्षक (पासपोर्ट कार्यालय गाजियाबाद)	वही
20.	(क) पासपोर्ट अधिकारी (पासपोर्ट कार्यालय, पुणे)	महाराष्ट्र राज्य के पुणे, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, अहमदनगर और शोलापुर के जिले।
	(ख) सहायक पासपोर्ट अधिकारी (पासपोर्ट कार्यालय पुणे)	वही
	(ग) जन सम्पर्क अधिकारी (पासपोर्ट कार्यालय पुणे)	वही
	(घ) अधीक्षक (पासपोर्ट कार्यालय पुणे)	वही
21.	(क) पासपोर्ट अधिकारी (पासपोर्ट कार्यालय थाणे)	महाराष्ट्र राज्य में धुले, जलगांव, नासिक, नवी, मुम्बई, रायगढ़, थाणे, नन्दरबार के जिले ।
	(ख) जन सम्पर्क अधिकारी (पासपोर्ट कार्यालय थाणे)	वही
	(ग) अधीक्षक (पासपोर्ट कार्यालय थाणे)	वही
22.	(क) पासपोर्ट अधिकारी (पासपोर्ट कार्यालय, श्रीनगर)	जम्मू और कश्मीर राज्य के श्रीनगर, अनन्तनाग, बारामूला, बडगांव, कारगिल, कुपवाडा, लद्दाख और पुलवामा के जिले ।
	(ख) अधीक्षक (पासपोर्ट कार्यालय श्रीनगर)	वही
23.	(क) पासपोर्ट अधिकारी (पासपोर्ट कार्यालय तिरूचिरापल्ली)	तमिलानाडु राज्य में त्रिची, थानेजपर, नागापत्रिनाम, कन्याकुमारी, रामनाद, (रमानायपुरम) तिरूवरूर, पड्डूकोट्टई, शिवागंगाई, मदुरै, तिरूनवेल्ली, विरूद्धनागा, पेराम्बलुर, तूतीकोरिन, थूथूकुड्डीकरूर, डिंडूगल और चेनी जिले ।

IndiaCode

(ख) जन सम्पर्क अधिकारी (पासपोर्ट कार्यालय तिरूचिरापल्ली)	वही
(ग) अधीक्षक (पासपोर्ट कार्यालय तिरूचिरापल्ली)	वही

24.

(क) पासपोर्ट अधिकारी (पासपोर्ट कार्यालय, विशाखापट्टनम)	आन्ध्र प्रदेश के गोदावरी (पश्चिम), गोदावरी (पूर्व) श्रीकाकुलम, विजीनागरम, और विशाखापट्टनम जिले ।
(ख) सहायक पासपोर्ट अधिकारी (पासपोर्ट कार्यालय विशाखापट्टनम)	वही
(ग) जन सम्पर्क अधिकारी (पासपोर्ट कार्यालय विशाखापट्टनम)	वही
(घ) अधीक्षक (पासपोर्ट कार्यालय विशाखापट्टनम)	वही

25.

(क) महानिदेशक भारत ताईपेई संघ, ताईवान	ताईवान
(ख) उप महानिदेशक भारत ताईपेई संघ, ताईवान	वही
(ग) सहायक निदेशक भारत ताईपेई संघ, ताईवान	वही

26.

(क) मुख्य सचिव अण्डमान निकोबार प्रशासन पोर्ट ब्लेयर	अण्डमान और निकोबार द्वीप का संघ शासित प्रदेश
(ख) सचिव (पासपोर्ट) अण्डमान निकोबार प्रशासन	वही
(ग) उप आयुक्त अण्डमान जिला, पोर्ट ब्लेयर	वही
(घ) सहायक सचिव (पासपोर्ट) अण्डमान निकोबार प्रशासन पोर्ट ब्लेयर	वही

27

(क) विदेशों में भारतीय मिशन या केन्द्रों में कोंसली अधिकारी या कोंसली एजेन्ट	सम्बद्ध भारतीय मिशन या केन्द्र के कोंसली क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत क्षेत्र ।

IndiaCode

28. (क) संयुक्त सचिव (कोंसली पासपोर्ट वीजा) और मुख्य पासपोर्ट अधिकारी	राजनयिक, सरकारी और साधारण पासपोर्ट के संबंध में सम्पर्णू भारत
(ख) निदेशक पासपोर्ट और वीजा प्रभाग विदेश मंत्रालय नई दिल्ली	वही
(ग) उप सचिव पासपोर्ट और वीजा प्रभाग विदेश मंत्रालय नई दिल्ली	वही
(घ) अवर सचिव पासपोर्ट और वीजा प्रभाग विदेश मंत्रालय नई दिल्ली	वही
(ड.) अनुभाग अधिकारी पासपोर्ट और वीजा प्रभाग विदेश मंत्रालय नई दिल्ली	वही
29. केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर नामित कोई अन्य अधिकारी	केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विर्निदिष्ट क्षेत्र ।

[फा. सं. V.IV/551/20/2000]

एस. आर. तायल, संयुक्त सचिव (सी पी वी)

IndiaCode

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए इसके लिए दिनांक 11.12.1980 का पत्र सं. जी एस आर 691 (ई0) देखें और इसके बाद संशोधित नियम इस प्रकार है :-

(i) जी एस आर 50 (ई) दिनांक 7.2.1981
(ii) जी एस आर 469 (ई) दिनांक 24.6.1982
(iii) जी एस आर 325 (ई) दिनांक 12.4.1983
(iv) जी एस आर 494 (ई) दिनांक 16.6.1983
(v) जी एस आर 345 (ई) दिनांक 29.3.1985
(vi) जी एस आर 860 (ई) दिनांक 8.11.1985
(vii) जी एस आर 857 (ई) दिनांक 13.10.1987
(viii) जी एस आर 84 (ई) दिनांक 11.2.1988
(ix) जी एस आर 1155 (ई) दिनांक 21.11.1988
(x) जी एस आर 622 (ई) दिनांक 27.7.1990
(xi) जी एस आर 653 (ई) दिनांक 2.7.1990
(xii) जी एस आर 100 (ई) दिनांक 4.3.1991
(xiii) जी एस आर 275 (ई) दिनांक 20.3.1991
(xiv) जी एस आर 586 (ई) दिनांक 21.6.1991
(xv) जी एस आर 111 (ई) दिनांक 22.1.1991
(xvi) जी एस आर 684 (ई) दिनांक 15.6.1992
(xvii) जी एस आर 721 (ई) दिनांक 7.8.1992
(xviii) जी एस आर 477 (ई) दिनांक 16.6.1993
(xix) जी एस आर 485 (ई) दिनांक 1.7.1993
(xx) जी एस आर 503 (ई) दिनांक 10.7.1993 और
(xxi) जी एस आर 833 (ई) दिनांक 2.12.1994

IndiaCode

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2001

G.S.R. 576 (E).— In exercise of the powers conferred by section 24 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passport Rules, 1980, namely:-

1. (1) These rules may be called the Passport (Amendment) Rules, 2001.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Passport Rules, 1980, in SCHEDULE I:-

(i) for serial number 3 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

"3. (a)	Regional Passport Officer (Regional Passport Office, Delhi)	Delhi & the districts of Gurgaon, Faridabad Sonepat, Jhajjar & Rohtak in the State of Haryana.
(b)	Asstt. Passport Officer (Regional Passport Office, Delhi)	Ditto
(c)	Public Relation Officer (Regional passport Office, Delhi)	Ditto
(d)	Superintendent (Regional Passport Office, Delhi)	Ditto."

(ii) for serial number 4 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

"4. (a)	Regional Passport Officer (Regional Passport Office, Chandigarh)	The districts of Bhatinda, Faridkot, Ludhiana, Fategarh Sahib, Ferozpur, Patiala, Moga, Mukatsar, Mansa, Sangrur and Ropar in the State of Punjab, the districts of Ambala, Bhiwani, Hissar, Jind, Karnal Sirsa, Kaithal, Rewari, Kurukshetra, Mohindergarh, Panipat, Yamunanagar, Panchkula and Fatehabad in the State of Haryana, all the district of the State of Himachal Pradesh and Union territory of Chandigarh.

IndiaCode

(b)	Public Relation Officer (Regional Passport Office, Chandigarh)	Ditto
(c)	Superintendent (Regional Passport Office, Chandigarh)	Ditto." :

(iii) for serinal number 5 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

"5. (a)	Regional Passport Officer, (Regional Passport Office, Chennai)	The districts of Chennai, Chingelput(E),Kanchipuram,Vellore Thiruvannmalai, Erode, Coimbatore(Urban), Coimbatore(R), Salem(Urbar),Salem(R),Namakkal, Cuddalore, Villupuram,Dharmapuri, Nilgiris,Karaikkal,Thiruvallur of the State of TamilNadu and Union territory of Pondicherry.
(b)	Assistant Passport Officer, (Regional Passport Office, Chennai)	Ditto
(c)	Public Relation Officer, (Regional Passport Office, Chennai)	Ditto
(d)	Superintendent, (Regional Passport Office, Chennai)	Ditto." :

(iv) for serial numbers 6(i) and 6(ii) and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall respectively be substituted, namely:-

"6(i) (a)	Regional Passport Officer, (Regional Passport Office, Cochin)	The districts of Alappuzha, Kottayam,Idukki,Thrissur, Ernakulam of the State of Kerala and Union territory of Lakshadweep.
(b)	Assistant Passport officer, (Regional Passport Office, cochin)	Ditto
(c)	Public Relation Officer, (Regional Passport Officer, Cochin	Ditto
(d)	Superintendent, (Regional Passport Office, Cochin	Ditto
6(ii).	Passport Officer, (Passport Office, Kozhikode	The districts of Palakkad Malappuram, Wayanad, Kozhikode, Kannaur, Kasargod of the State of Kerala.":

IndiaCode.nic.in

(v) for serial numbers 7(A) and 7(B) and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall respectively be substituted, namely:-

"7(A).		
(a)	Regional Passport Officer, (Regional Passport Office, Mumbai)	The Union territory of Dadra & Nagar Haveli and Daman and the districts of Mumbai, Ratnagiri, Sindhudurg, Aurangabad & Beed of the State of Maharashtra.
(b)	Assistant Passport Officer, (Regional Passport Office, Mumbai)	Ditto
(c)	Public Relation Officer, (Regional Passport Office, Mumbai)	Ditto
(d)	Superintendent, (Regional Passport Office, Mumbai)	Ditto.
7(B).		
(a)	Passport Officer, (Passport Office, Nagpur)	The districts of Amravati Akola, Bhandara, Buldhana, Chadrapur, Latur, Hingoli, Gadchiroli, Gondia, Jalna, Nagpur(Urban), Nagpur(Rural), Nanded, Osmanabad, Parbhani, Washim Waydha, Yavatmal of the State of Maharashtra and Bhilai Steel Plant.
(b)	Assistant Passport Officer, (Passport Office, Nagpur)	Ditto
(c)	Public Relation Officer, (Passport Office, Nagpur)	Ditto
(d)	Superintendent, (Passport Office, Nagpur)	Ditto.";

(vi) for serial number 8(ii) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

"8(ii)		
(a)	Passport Officer, Passport Office, Bareilly)	The districts of Bareilly, Budaun, Etah, Bijnor, Moradabad, Rampur Pilibhit, Shahjanhanpur, Mainpuri, Firozabad and Jyotiba Phule Nagar in the State of Uttar Pradesh and the districts of Pithoragarh, Pouri Garhwal, Almora, Champawat, Uttarkashi, TehriGarhwal, Bageshwar Chamoli, Rudra Prayag, Udham Singh Nagar, Haridwar, Nainital and Dehradun in the State of Uttaranchal.
(b)	Public Relation Officer, (Passport Office, Bareilly)	Ditto

(c)	Superintendent, (Passport Office, Bareilly)	Ditto." :

(vii) for serial number 9 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

"9.		
(a)	Passport Officer, (Passport Office, Hyderabad)	The districts of Adilabad, Nizamabad, Medak, Karimnagar, Warangal, Khammam, Ranga Reddy, Hyderabad, Kurnool, Mahabubnagar, Guntur, Krishna, Parkasam, Ananthapur, Nellore Nalagonda, Cuddapha, Chittor, Secunderabad in the State of Andhra Pradesh.
(b)	Assistant Passport Officer, (Passport Office, Hyderabad)	Ditto
(c)	Public Relation Officer, (Passport Office, Hyderabad)	Ditto
(d)	Superintendent, (Passport Office, Hyderabad)	Ditto." ;

(viii) for serial number 12 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

"12.		
(a)	Passport Officer, (Passport Office, Bhopal)	The States of Madhya Pradesh & Chhatisgarh.
(b)	Public Relation Officer, (Passport Office, Bhopal)	Ditto
(c)	Superintendent, (Passport Office, Bhopal)	Ditto." :

(ix) for serial number 14 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

"14.		
(a)	Passport Officer, (Passport Office, Patna)	The States of Bihar and Jharkhand.
(b)	Assistant Passport Officer, (Passport Office, Patna)	Ditto
(c)	Public Relation Officer, (Passport Office, Patna)	Ditto
(d)	Superintendent, (Passport Office, Patna)	Ditto." :

IndiaCode

(x) in serial number 16, for item (1) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:-

"16(1).		
(a)	Passport Officer, (Passport Office, Jammu)	The districts of Jammu, Poonch, Kathua, Doda, Rajouri, Udhampur in the State of Jammu & Kashmir.
(b)	Assistant Passport Officer, (Passport Office, Jammu)	Ditto
(c)	Public Relation Officer, (Passport Office, Jammu)	Ditto
(d)	Superintendent, (Passport Office, Jammu)	Ditto." ;

(xi) for serial numbers 18 to 21 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

"18.		
(a)	Passport Officer, (Passport Office, Jalandhar)	The districts of Jalandhar, Kapurthala, Amritsar, Gurdaspur, Nawanshahar, Hoshiarpur in the State of Punjab.
(b)	Assistant Passport Officer, (Passport Office, Jalandhar)	Ditto
(c)	Public Relation Officer, (Passport Office, Jalandhar)	Ditto
(d)	Superintendent, (Passport Office, Jalandhar)	Ditto.
19.		
(a)	Passport Officer, (Passport Office, Ghaziabad)	The districts of Agra, Mathura, Aligarh, Bulandshahar Meerut, Muzaffarnagar, Bagpat, Saharanpur, Ghaziabad, Hathras and Gautam Budh Nagar in the State of Uttar Pradesh.
(b)	Assistant Passport Officer, (Passport Office, Ghaziabad)	Ditto
(c)	Public Relation Officer, (Passport Office, Ghaziabad)	Ditto
(d)	Superintendent, (Passport Office, Ghaziabad)	Ditto
20.		
(a)	Passport Officer, (Passport Office, Pune)	The districts of Pune, Satara, Sangli, Kolhapur, Ahmadnagar and Sholapur in the State of Maharashtra.

(b)	Assistant Passport Officer, (Passport Office, Pune)	Ditto
(c)	Public Relation Officer, (Passport Office, Pune)	Ditto
(d)	Superintendent, (Passport Office, Pune)	Ditto.
21.		
(a)	Passport Officer, (Passport Office, Thane)	The districts of Dhule, Jalgaon, Nasik, Navi Mumbai, Raigad, Thane, Nandurbar in the State of Manarashtra.
(b)	Public Relation Officer, (Passport Office, Thane)	Ditto
(c)	Superintendent, (Passport Office, Thane)	Ditto." ;
22.		
(a)	Passport Officer, (Passport Office, Srinagar)	The districts of Srinagar Anantnag, Baramulla, Budgam Kargil, Kupwara, Laddakh and Pulwama in the State of Jammu & Kashmir.
(b)	Superintendent, (Passport Office, Srinagar)	Ditto
23.		
(a)	Passport Officer, (Passport Office, Tiruchirappalli)	The districts of Trichy, Thanjavur Nagapattinam, Kanyakumari, Ramnad (Ramanathapuram), Thiruvarur, Pudukkottai, Sivagangai, Madurai, Tirunelveli, Virudhunaga Perambalur, Tuticorin(Thoothukudi Karur, Dindugal and Theni in the State of Tamil Nadu.
(b)	Public Relation Officer, Passport Office, Tiruchirappalli)	Ditto
(c)	Superintendent, Passport Office, Tiruchirappalli)	Ditto
24.		
(a)	Passport Officer, Passport Office, Visakhapatnam)	The districts of Godawari (West), Godawari(East), Srikakulam, Vizianagaram and Visakhapatnam in the State of Andhra Pradesh.
(b)	Public Relation Officer, (Passport Office, Visakhapatnam)	Ditto
(c)	Superintendent, Passport Office, Visakhapatnam)	Ditto

IndiaCode

25.		
(a)	Director General, India Taipei Association, Taiwan	Taiwan
(b)	Deputy Director General, India Taipei Association, Taiwan	Ditto
(c)	Assistant Director, India Taipei Association, Taiwan	Ditto
26.		
(a)	Chief Secretary, Andaman Nicobar Administration, Port Blair.	Union territory of Andaman and Nicobar Islands.
(b)	Secretary(Passport), Andaman Nicobar Administration, Port Blair.	Ditto
(c)	Deputy Commissioner, Andaman District, Port Blair.	Ditto
(d)	Assistant Secretary(Passports), Andaman Nicobar Administration, Port Blair.	Ditto
27.	Consular Officer or Consular Agents in the Indian Mission or Posts outside India.	The area within the consular jurisdiction of the Indian Mission or Posts concerned.
28.		
(a)	Joint Secretary (Consular Passport Visa) and Chief Passport Officer	Whole of India in respect of diplomatic, official and ordinary passports.
(b)	Director, Passport and Visa Division, Ministry of External Affairs, New Delhi.	Ditto
(c)	Deputy Secretary, Passport and Visa Division, Ministry of External Affairs, New Delhi.	Ditto
(d)	Under Secretary, Passport and Visa Division, Ministry of External Affairs, New Delhi.	Ditto
(e)	Section Officer, Passport and Visa Division, Ministry of External Affairs, New Delhi.	Ditto

IndiaCode

29.	Any other Officer as may be designated by the Central Government from time to time.	Area to be specified by the Central Government from time to time.".

[F. No. V.IV/551/20/2000]

S. R. TAYAL, Jt. Secy. (CPV)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India *vide* number GSR 691(E), dated the 11th December, 1980 and subsequently amended *vide* :—

(i) GSR 50(E), dated 7.2.1981;

(ii) GSR 469(E), dated 24.6.1982;

(iii) GSR 325(E), dated 12.4.1983;

(iv) GSR 494(E), dated 16.6.1983;

(v) GSR 345(E), dated 29.3.1985;

(vi) GSR 860(E), dated 8.11.1985;

(vii) GSR 857(E), dated 13.10.1987;

(viii) GSR 84(E), dated 11.2.1988;

(ix) GSR 1155(E), dated 21.11.1988;

(x) GSR 622(E), dated 27.7.1990;

(xi) GSR 653(E), dated 2.7.1990;

(xii) GSR 100(E), dated 4.3.1991;

(xiii) GSR 275(E), dated 20.3.1991;

(xiv) GSR 586(E), dated 21.6.1991;

(xv) GSR 111(E), dated 22.1.1992;

(xvi) GSR 684(E), dated 15.6.1992;

(xvii) GSR 721(E), dated 7.8.1992;

(xviii) GSR 477(E), dated 16.6.1993;

(xix) GSR 485(E), dated 1.7.1993;

(xx) GSR 503(E), dated 10.7.1993; and

(xxi) GSR 833(E), dated 2.12.1994.

94 of Corrected — 3

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.